

**अनुदान संख्या 105 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय**  
**GRANT No. 105-MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2,00,00		
पूरक	Supplementary	123,23,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	125,23,00	113,74,01	-11,48,99
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
पूरक	Supplementary	18,29,00	18,29,00	18,29,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (1162.15 लाख रु.) 1148.99 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.1162.15 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.1148.99 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.			
पू.	S.	10198.00		
पु.	R.	-57.00	10141.00	10120.74
				-20.26
मुख्य शीर्ष "2250"	Major Head "2250"			
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services			
पू.	S.	670.00		
पु.	R.	-72.99	597.01	604.32
				+7.31

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
पू.	S.	960.00	..	..
पु.	R.	-960.00	..	..
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
पू.	S.	102.00	..	..
पु.	R.	-102.00	..	..
(I) 1062.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1060.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-		(I) Supplementary provisions of Rs.1062.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.1060.00 lakhs accounted for under following major heads:-		
(का) मुख्य शीर्ष "3601" - केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - अन्य अनुदान" -		(A) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General - Other Grants" -		
(क) "अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीमों" - 60.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।		(a) "Coaching and Allied Schemes for Minorities" - Rs.60.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from State Governments.		
(ख) "व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता एवं साधन पर आधारित छात्रवृत्ति" - 900.00 लाख रु.; और		(b) "Merit-cum-Means based Scholarship for Professional and Technical courses" - Rs.900.00 lakhs; and		
(खा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य - अन्य अनुदान - व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए योग्यता एवं साधन आधारित छात्रवृत्ति" - 100.00 लाख रु.।		(B) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - General - Other Grants - Merit-cum-Means based Scholarships for Professional and Technical Courses" - Rs.100.00 lakhs.		

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान मंत्रिमंडल द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) अगस्त, 2006 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य" -

(क) "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम" - 98.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण 56.62 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(ख) "अन्य व्यय - अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार अभियान" - 100.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कम राशि खर्च किए जाने के कारण 20.64 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(खा) मुख्य शीर्ष "2250" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" - 366.50 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने और कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ दौरे कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण 77.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 55.95 लाख रु. के अधिक व्यय के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the schemes by the Cabinet.

(II) Supplementary grant obtained in August, 2006 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2225" - "General" -

(a) "Aids to Voluntary Organisations - Coaching and Allied Scheme for Minorities" - funds of Rs.98.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.56.62 lakhs - due to non-receipt of proposals from voluntary organisations.

(b) "Other Expenditure - Media Campaign for Minority" - funds of Rs.100.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.64 lakhs - due to less expenditure incurred by the Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(B) Major Head "2250" - "Other Expenditure - National Commission for Minorities" - funds of Rs.366.50 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.77.71 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and some tours could not be undertaken owing to some administrative problems.

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.55.95 lakhs under one head constituting 14 percent of the total sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
पू.	S.	1647.00		
पु.	R.	182.00	1829.00	1829.00
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
पू.	S.	182.00		
पु.	R.	-182.00		

(I) अगस्त, 2006 में प्राप्त किया गया 182.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और वित्त विकास निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of Rs.182.00 lakhs obtained in August, 2006 remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Other Expenditure - National Minorities and Finance Development Corporation" - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसतुलित हो गईं - 182.00 लाख रु. का अधिक व्यय (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 1647.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4 The above savings were offset by excess under Major Head "4225" - "General - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities and Finance Development Corporation" - excess of Rs.182.00 lakhs (against the supplementary provision of Rs.1647.00 lakhs obtained in August, 2006) - due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.